सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2021/67 दर्ज तिथिः–05.03.2021

1. आईदानाराम पुत्र मालाराम
2. पुरखाराम पुत्र मालाराम
3. खरथाराम पुत्र तेजाराम
4. देवाराम पुत्र तेजाराम
5. मगाराम पुत्र तेजाराम
6. मीरादेवी पत्नी तेजाराम
   जाति जाट निवासी पाबुबेरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. चुतराराम पुत्र ताजाराम
2. जीयाराम पुत्र ताजाराम
3. खेताराम पुत्र ताजाराम
4. उमाराम पुत्र ताजाराम
   जाति जाट साकिन जेठाणी माछरों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजार, गुड़ामालानी
7. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– श्री चिमनसिंह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2/3/15.00 बीघा मौजा जेठाणी माछरों की ढाणी तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
- कि मूल खसरा संख्या 02 में से प्रार्थी संख्या 01 ता 03 व 06 के पिता तेजाराम ने आराजी खसरा संख्या 2/3/15.00 बीघा मौजा जेठाणी माछरों की ढाणी भूमि क्रय की थी। उक्त क्रयशुदा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में 15.00 बीघा अंकित किया गया तथा इतनी ही भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द किया गया।
- कि राजस्व कार्मिकों द्वारा जमाबंदी में रकबे का इन्द्राज बेचान दस्तावेज के अनुसार सही कर दिया। परंतु विभक्त हुए खसरा संख्या 2/3 का लट्ठा ट्रेस में तरमीम रकबा व मौका कब्जा तथा बेचान दस्तावेज से भिन्न कर दी गई। जिससे मौका व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के विपरीत खसरा संख्या 2/3 की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार दुरूस्त की जावे। अतः प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः—

- कि प्रार्थीगण की आराजी मूल खसरा संख्या 02 से विभक्त होकर नवीन खसरा संख्या 2/3 रकबा 15.00 बीघा भूमि की तरमीम मौका कब्जा—काश्त अनुसार सही दर्ज की हुई है।
- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 422 के आधार पर प्रार्थीगण की सहमति से दर्ज की गई है। वर्तमान में प्रार्थीगण की नियत में खोट आने से तथा अप्रार्थीगण को महज परेशान करने की नियत से उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश किया होने से उक्त आवेदन पत्र काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 422 की पुश्त पर प्रार्थीगण की सहमति से की गई है। उक्त तरमीम को लम्बे अरसे बाद प्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश किया गया है। जो म्याद बाहर होने से काबिल—ए—खारिज है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2488 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ए के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:06 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–ए प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–ए का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

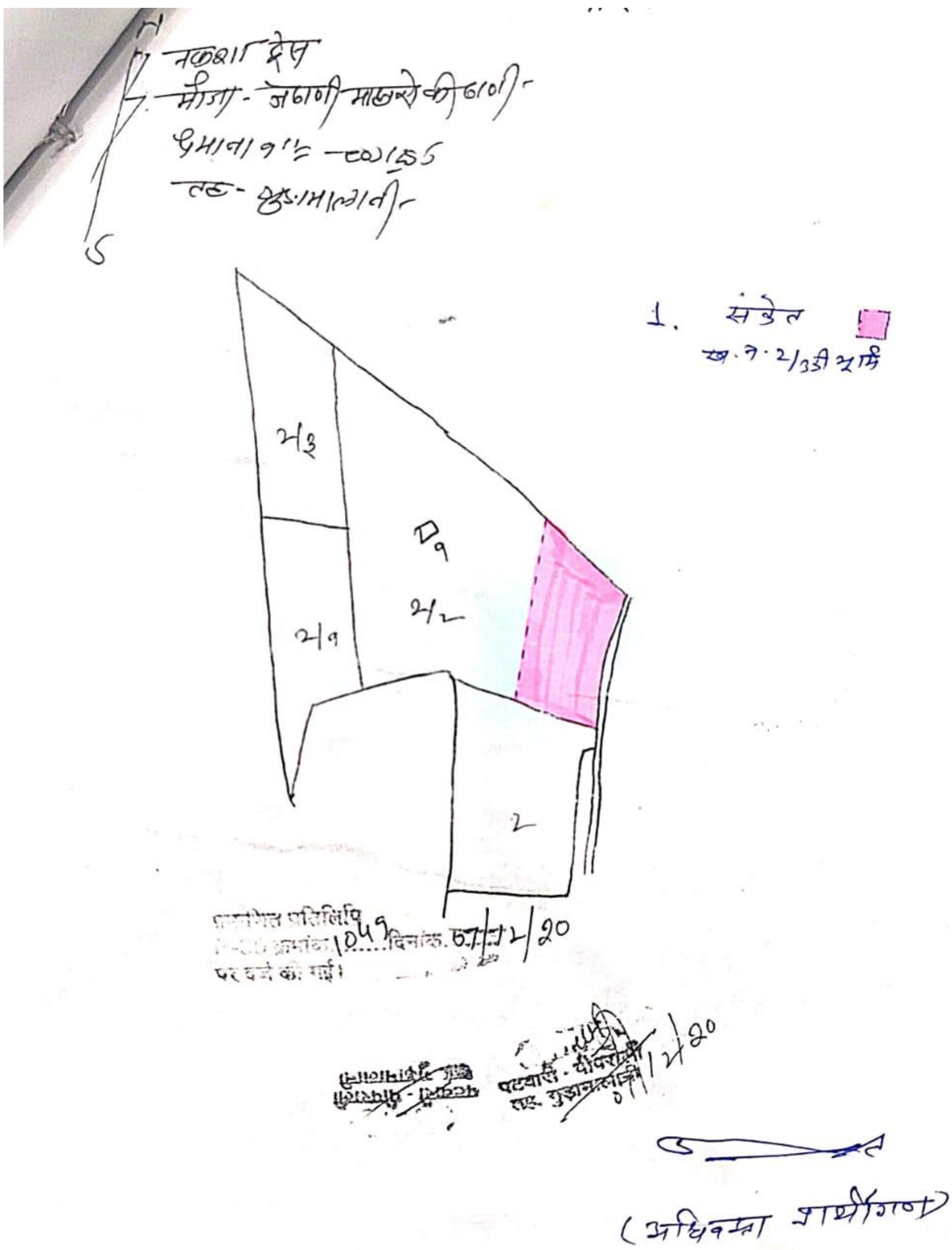

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2488 दिनांक 18.12.2024 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:06 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2488 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

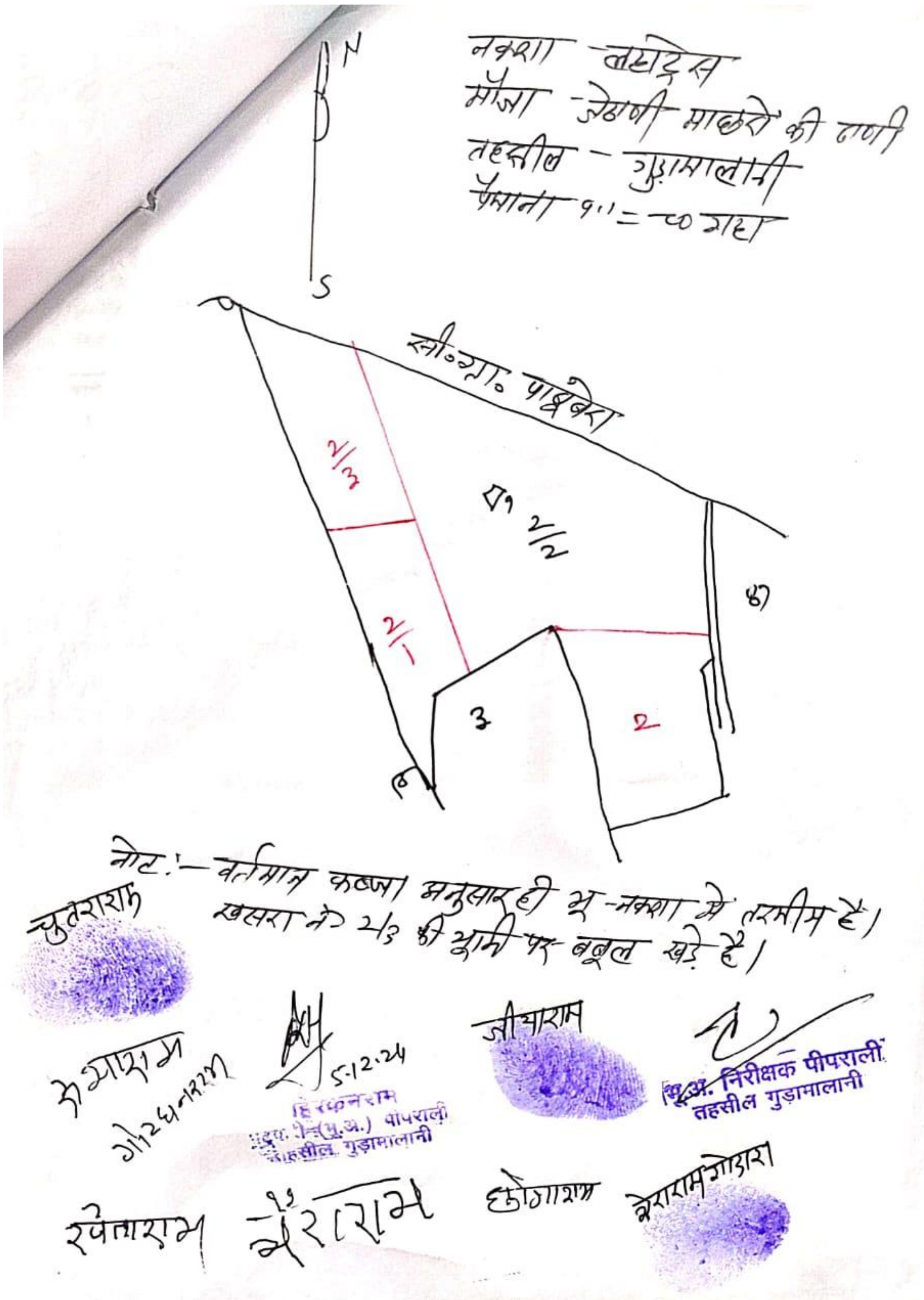

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2488 दिनांक 18.12. 2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:06 IST
Reason: SelfAttested

- ग्राम जेठाणी माछरों की ढाणी के खसरा संख्या 02 में से खसरा संख्या 2/3 रकबा 15.00 बीघा भूमि क्रय की गई थी। जिसका वर्तमान तरमीम अनुसार रकबा सही है।
- पंजीयन दस्तावेज में उत्तर में पीपराली व पाबूबेरा सीमा व उगमणा (पूर्व में) देरामा समरथा नवला का सेढा लिखा है। दखणा (दक्षिण) आथमणा (पश्चिम) में इसी खसरा की शेष भूमि होना बताया गया है। जो वर्तमान तरमीम अनुसार नहीं है।
- स्वीकृतशुदा नामांतरकरण संख्या 422 की पुश्त पर तरमीम नहीं है। उक्त तरमीम डीएमआईएस के समय वन—टू—वन के दौरान वादीगण की सहमति से वर्तमान में की हुई तरमीम अनुसार सहमति से तरमीम करवाई गई थी।
- वर्तमान भू—नक्शा अनुसार खसरा संख्या 2/1, 2/2 का मौका कब्जा तरमीम अनुसार ही है। मौके पर खसरा संख्या 2/3 की भूमि पर वर्तमान में बबूल (झाड़ियां) हैं।
- अतः वर्तमान भू—नक्शा व मौका कब्जा समान होने से व पुश्त पर तरमीम नहीं होने से वर्तमान में भू—नक्शा में की गई तरमीम सही है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2488 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2488 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम मौके एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सही दर्ज की गई है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2488 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम पूर्व में ही सही होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:47:06 IST
Reason: SelfAttested